

**MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES**

**LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2538
TO BE ANSWERED ON THE 09th MARCH, 2026**

SEPARATE PAY REVISION COMMITTEE FOR CPSUS

2538. SHRI LAXMIKANT PAPPU NISHAD:

Will the **Minister of FINANCE** be pleased to state:

- (a) whether the Government is considering setting up a separate and institutional Pay Revision Committee (PRC) on the lines of the 8th Central Pay Commission for about 8 lakh non- executive employees and officers below the board level working in Central Public Sector Undertakings (CPSUs) to revise their salaries with effect from 2027, similar to that of PSU officers, if so, the details thereof;
- (b) whether the Government acknowledge that the pay/wage revision process, formula for bonus/PRP, percentage of allowances and perks, and the pattern of profit sharing for officers and staff in CPSUs to revise their salaries with vary significantly and are inconsistent from CPSU to CPSU, thereby violating the principle of equal pay for equal work; and
- (c) if so, the steps are being taken by the Government to standardise the said process and make the same more equitable?

ANSWER

**THE MINISTER OF STATE OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)**

- (a) There is no proposal under consideration for setting up a separate and institutional Pay Revision Committee (PRC) for non-executive employees and officers below Board level working in Central Public Sector Enterprises (CPSEs).
- (b) & (c): Variations in pay, allowances and incentives across CPSEs reflect differences in financial capacity, performance. The Government issues periodic uniform guidelines to ensure transparency, affordability and broad parity, while preserving the functional autonomy of CPSEs.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2538

दिनांक 09 मार्च, 2026 को उत्तर देने के लिए

सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों हेतु एक अलग वेतन संशोधन समिति

2538. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पु निषाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों (सीपीएसयू) में कार्यरत लगभग 8 लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के वेतन में वर्ष 2027 से पीएसयू अधिकारियों के समान वृद्धि करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की तर्ज पर एक अलग और संस्थागत वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) गठित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि सीपीएसयू में अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन संशोधन की प्रक्रिया, बोनस/पीआरपी का सूत्र, भत्तों और सुविधाओं का प्रतिशत और लाभ-साझाकरण का पैटर्न एक सीपीएसयू से दूसरे सीपीएसयू में काफी भिन्न और असंगत है, जिससे समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन होता है; और
- (ग) यदि हां, तो सरकार उक्त प्रक्रिया को मानकीकृत करने और इसे अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में कार्यरत बोर्ड स्तर से नीचे के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अलग और संस्थागत वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग): सीपीएसई में वेतन, भत्ते और प्रोत्साहनों में भिन्नता उनकी वित्तीय क्षमता, कार्य-निष्पादन में अंतर दर्शाती है। सरकार सीपीएसई की कार्यात्मक स्वायत्तता को संरक्षित करते हुए, पारदर्शिता, वहनीयता और व्यापक समता सुनिश्चि करने के लिए आवधिक एकसमान दिशानिर्देश जारी करती है।
